

23 रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22.08.2023 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नौमकाथाना (सीकर)

22/08/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।  
 P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं।  
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/9/23 को पेश हो।

26/9/23 वकील प्रार्थी उपस्थित।  
 उद्योगी आवपुड तल्लील उपस्थित।  
 अतः उद्योगी के विरुद्ध एक पञ्जीप कम्प्लेवाही  
 अफिल में लानी जाती है।  
 वाकते वह पत्रावली दिनांक 31/10/23 को पेश हो।

31/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।  
 P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/11/23 को पेश हो।

11/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।  
 I.P.O. साहब क्षेत्र पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/11/23 को पेश हो।

29/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित।  
 P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं।  
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/12/23 को पेश हो।



15/2/24 पत्रावली पेश हुई। जमीनदास्त संप ने  
आप अदालती कार्य का स्थान बन  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 20/3/24 को पेश हो।

20/3/24 पत्रावली पेश हुई। जमीनदास्त संप ने  
आप अदालती कार्य का स्थान बन  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 4/4/24 को पेश हो।

4/4/24 पत्रावली पेश हुई। जमीनदास्त संप ने  
P.O. सार्वजनिक कार्य में स्थान  
होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 17/5/24 को पेश हो।

प्रार्थना पत्र संख्या 679/2023  
उन्वान गिरकर बनान भूमिधारी

17/5/24 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी  
गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान  
करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.नं. 100  
रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 101 रकबा 0.70 हैक्ट. ख.नं. 104 रकबा 0.34  
हैक्ट. ख.नं. 107 रकबा 1.20 हैक्ट. ख.नं. 108 रकबा 0.78 हैक्ट. ख.नं.  
102 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 103 रकबा 0.06 हैक्ट. का प्रार्थी अपने  
हिस्सेनुसार रिकॉर्डेड खातेदार कारतकार है। भूमि का दिनांक  
17.06.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान  
पत्थरगढी के आदेश पारित किये जायें।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व  
रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि  
मुताबिक राजस्व रिकॉर्डेड राजस्व ग्राम अन्टाला पटवार हल्का भगेगा  
तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नं. 100 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 101  
रकबा 0.70 हैक्ट. ख.नं. 104 रकबा 0.34 हैक्ट. ख.नं. 107 रकबा 1.20  
हैक्ट. ख.नं. 108 रकबा 0.78 हैक्ट. ख.नं. 102 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं.  
103 रकबा 0.06 हैक्ट. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व  
पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक  
सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र  
प्रार्थीगण बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।



FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एस.नं.

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत


मुकाम

बनाम

किरम मुकदमा

नम्बर

वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम अन्टाला पटवार हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नं. 100 रकबा 0.04 हैक्ट. ख.नं. 101 रकबा 0.70 हैक्ट. ख.नं. 104 रकबा 0.34 हैक्ट. ख.नं. 107 रकबा 1.20 हैक्ट. ख.नं. 108 रकबा 0.78 हैक्ट. ख.नं. 102 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 103 रकबा 0.06 हैक्ट. की प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा वेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर द्तर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी ज़िला नीमकाथाना (सज.)</p>	